EC No. / Item No./ Institution Name (ED/ Course	Examining Authority / Hospital	Decisions of 366 EC (25th & 26th June, 2022) approved & ratified by 116 CC	
366 EC/612 UP-95 / 2022-2023 Umar Fradesh Rh College Of Phormacy Near Etmodpur Bailway Over Bridge Etamdpur Agra	D.Pherm The Secretary Uttar Product Board of Technical Education Gora Goving Single Marg Lucknow Uttar Product	D.Pharm 612. Extend approval upto 2022-2023 academic sension for 60 admissions for D.Pharm course.	
Umac Pradesh PCI - 1745 D.Pham			
366 BC/613 UP-97 / 2022-2023	D.Pharm The Secretary	613.1 <u>D.Pharm</u> Extend approval upto 2022-2023 academic session for 60 admissions for D.Pharm course.	
Eltter Produch Badha Govind Institute Of Pharmacy Mondahad Road Akroli Chauraha Chandrani Diati Mondahad Utter Produch PCI + 1679 D.Pharm B.Pharm	Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh B.Pharm The Registrar Dr API Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus Sitspar Road Lucknow	Extend approval upto 2022-3623 academic session for 60 admissions B.Pisarm course.	

कार्यालय.

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश तसन्छ।

संख्या:- प्रामिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

संखनकः दिनांकः 30/08/2022

:-कार्यातय क्राप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेंसी काउन्सित ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा घौद्धिक
सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा
परिषद, उठप्रठ लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय
में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/
पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठठकम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र
2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न शंख्या को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1226-RADHA GOVIND INSTITUTE OF PHARMACY				
	क्र०संध		ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सन्न 2022- 23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
	- 1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्ते

- √ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पातन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, रोमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीत पाठणकमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेरी पाठणकम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठणकमों (दो वर्षीय फार्मेरी पाठणकम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होगें, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रीस निर्धारण समिति द्वारा पित सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है, तो फीस की नदीनतम दरे लागू होगी।
- √ संस्था में संयुक्त प्रवेश परिका परिषद द्वारा आवंदित खात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- √ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- √ संस्थान उत्तर प्रदेश व्यासन द्वारा निर्गत विधि/निपमो/अधिनिपमो/व्यासनादेशो/निर्देशो एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनिपमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- √ पदि संस्थान का एoआईoसीoटीoईo/पीoसीoआईo से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदामित्व शंस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, शंयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग जसर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई बाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
 - 🗸 संस्थाओं को संपक्षा प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेत् आयोजित काउन्सितिंग प्रारंभ होने के पूर्व १०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्पालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सितिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
 - ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेत् समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
 - √ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सुचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्टि भूमि, स्टाफ, साज-संख्वा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क अहिंद का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ४ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
 - √ संस्था यह सुनिश्चित हो तो कि संस्था में प्रस्तावित/ संवातित पाठपक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध करावे गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठवक्रम के संवालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाहीं की जारंगी।
 - ✓ संस्था के औषक रचलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साव-सक्या ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पापा जाता है तो संस्था की सम्बद्धता सम्बद्ध कर दी जाएगी।
 - ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपातन न किये जाने अथवा शर्तों का उत्तायंन किये जाने की स्थिति में नियमानुसान अनुमासनात्मक कार्पवाही की जायेगी।

एफ0आर0 खान)

प्रातीय।परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनोक: 30/08/2022

प्रतिशिध-

प्रधानाचार्यानिदेशाक,RADHA GOVIND INSTITUTE OF PHARMACY

सचिव